यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय कृषि निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड,** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय कृषि निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड के माह 10/2017 से 12/2020तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री भानु प्रताप सिंह,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री एस. एस. राणा, एवं श्री द्वारा दिनांक 01/01/2021 से 15/01/2021 तक श्री शरत श्रीवास्तव वरीष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षणमें सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस. एस. दरियाल,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज कुमार सिंह पर्यवेक्षक एवं श्री जितेंद्र चमोली, लेखापरिक्षक द्वारा दिनांक 19/08/2017, 14/10/2017 से 04/11/2017 तथा 12/11/2017 तक श्री वी. एस. पँवार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमें माह 09/2015 से 09/2017तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः सम्पूर्ण उत्तराखण्ड़
   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2017-18	-	-	10910.01	10727.03	21108.61	20676.32		615.27
2018-19	-	-	12090.02	10742.14	34108.34	33210.33	-	2245.89
2019-20	-	-	12181.40	10210.21	25463.84	25360.19	-	2074.84
2020-21(12/2020)			11740.65	7750.50	20629.21	19831.40		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य(+)	बचत(-)
2017-18	केन्द्र पोषित योजनाए	0	32018.62	31403.35	615.27
2018-19		0	46198.36	43952.47	2245.89
2019-20		0	37645.24	35570.40	2074.84
2020-21(12/2020)			32369.87	27581.90	

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासनद्वारा किया जाता है। गैर- स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **"ए"** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव-निदेशक-अपर कृषि निदेशक-संयुक्त कृषि निदेशक-कृषि एवं भूमि सरक्षण अधिकारी

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय कृषि निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड,** के माह 11/2017 से 03/2020 तक किए गए लेन-देन की लेखा परीक्षा की गयी थी और अधिक व्यय वाले माह तथा अधिक व्यय वाले पूर्ण किए गए कार्यो को आच्छादित किया गया। आहरण एवं वितरण अधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय कृषि निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड,** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 11/2018 **एवं 03/2020**को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो "अ"

प्रस्तर 01:- 04 सपोर्ट एजेंसी/ रीजनल काउंसिल को रु. 1444.90 लाख के अनियमित भुगतान।

भारत सरकार पत्रांक संख्या NO. Z-11018/54/2016IT के दिनांक 29/07/2016 के अनुसार "A meeting was held under the chairmanship of CEO, NITI Aayog on 26.07.2016 on the subject. It was informed that all the entities (NGO, Trust, Societies etc.) that take assistance from Government needs to get the unique identity number from NGO Darpan Portal of NITI Ayog. After getting unique number, these entities are required to apply on Ministry/Department portal for release of funds.

Even if the Department is providing assistance to such entities through State Governments, the above procedure needs to be followed. No such fund should be released to State without the unique identifier of these entities.

Accordingly, all Divisions, providing assistance to these entities are requested to ensure compliance, before releasing any fund to such entities. Also programme Divisions may write to all State to ensure compliance of above failing to which no fund may be released to such NGOs, Trust, Societies etc.

वर्ष 2015-16 से भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहाथा जो कि 90 प्रतिशत केंद्रान्श एवं 10 प्रतिशत राज्यान्श पर संचालित थी । योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न थे -

1- क्लस्टर अप्रोच के आधार पर चयनित जैविक ग्रामों में पीजीएस(Participatory guarantyscheme) सर्टिफिकेशन के अंतर्गत जैविक कृषि का प्रोत्साहन किया जाना।

2- पारिस्थितिक रूप से अनुकूल कम लागत वाली पारंपरिक तकनीकी और प्रोद्योगिकियों को अपनाकर खतरनाक सिंथेटिक अकार्बनिक रसायनों से पर्यावरण की सुरक्षा करना।

3- मानव उपभोग के लिए रसायन मुक्त और पौष्टिक भोजन का स्थायी रूप से उत्पादन करना।

4- स्थानीय और राष्ट्रीय बाज़ारों के प्रत्यक्ष बाजार संबंधो के माध्यम से किसान उद्यमियों को तैयार करना

योजना के द्वितीय चरण में वर्ष 2018-19 में उत्तराखण्ड को जैविक प्रदेश बनाने में गति प्रदान करने हेतु 3900 नए क्लस्टर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए थे जिससे 78000 हेक्टेयर पीजीएस प्रमाणीकरण की प्रक्रिया की गयी।

योजना के सफल संचालन हेतु 10 सपोर्ट एजेंसी एवं 09 रीजनल काउंसिल का चयन किया गया था। एजेंसी का मुख्य कार्य क्लस्टर का गठन, प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर, भौतिक सत्यापन, प्रमाणीकरण प्रक्रिया, प्रमाण पत्र जारी करना, इत्यादि था।

लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 04 सपोर्ट एजेंसी/ रीजनल काउंसिल द्वारा बिना दर्पण पोर्टल पर unique identity number प्राप्त किए ही वर्ष 2018-19 में 1444.90 लाख का भुगतान किया गया था जो भारत सरकार के शासनादेशों के विरूद्ध था।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि दर्पण पोर्टल पर यूआईएन प्राप्त किया गया है। इकाई का उत्तर लेखा परीक्षा को मान्य नही था क्योकि लेखापरीक्षा को निदेशालय द्वारा ICCOA की उपलब्ध कराई गयी यूआईएन संख्या की दर्पण पोर्टल पर जांच किए जाने पर पंजीकृत नही पायी। साथ ही अन्य तीन(SIMFEED,SheelBiotechLtd.,ShriRamSolventExtractionpvt.Ltd.) की यूआईएन नही थी बावजूद इसके विभाग द्वारा निधि प्रदान किया गया जो भारत सरकार के शासनादेश के विरूद्ध था।

अतः 04 सपोर्ट एजेंसी/ रीजनल काउंसिल को रु. 1444.90 लाख के अनियमित भुगतान का मामला शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-2(ब)</u>

प्रस्तर01- किसान सम्मान निधि मे सत्यापन संबंधी कार्यवाही दिशानिर्देशों के अनुसार न किए जाने के कारण रु 1152.46 लाख अपात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने एवं वर्तमान तक रु 1147.86 लाख की वसूली लंबित रहना ।

प्रधानमंत्री- किसान सम्मान निधि योजना की operational guidelines के अनुसार राज्य सरकार की मूलभूत ज़िम्मेदारियां मे से कुछ निम्न ज़िम्मेदारी थी कि-

1. State Government is to identify the beneficiaries and upload the beneficiary details on the web portal of the scheme.

2. Correctness of beneficiary details is to be ensured by State Governments. Further, speedy reconciliation in case of wrong/incomplete bank details of the beneficiary should be ensured.

उपरोक्त के अतिरिक्त एसओपी के प्रस्तर 10.5 के अनुसार "Efforts should be undertaken by State Governments to ensure checking for around 5% of the beneficiary for the eligibility during the year."

उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या 231/XIII-1/2019-1(04/2019 दिनांक 08 फरवरी 2019 के अनुसार यह योजना 01.12.2018 से लागू की गई थी। जिसमे लघु एवं सीमांत किसानो के परिवारों को प्रति वर्ष रु 6000/- (रु 2000/- की तीन समान किस्त) मे सहायता प्रदान की जानी थी। उक्त पत्रांक के बिन्दु संख्या 3.1 मे स्पष्ट रूप से उल्लेखित है की लघु एवं सीमांत किसान या उनका परिवारजिनको क से छ तक कीश्रेणियों मे वर्गीकृत किया गया है लाभ के पात्र नहीं होंगे। जिसमे 3.1(च) के अनुसार गत वर्ष के आयकरदाता को भी लाभ नहीं मिलना था।

पत्रावलियों के निरीक्षण मे प्रकाश मे आया की हरिद्वार जनपद मे अपात्र व्यक्तियों को पी.एम. सम्मान निधि का लाभ मिलने की शिकायत पर कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के पश्चात अपात्र किसानो को लाभ मिलने की पुष्टि की गई। जिसको संज्ञान मे लेकर उत्तराखंड शासन एवं कृषि निदेशक द्वारा क्रमशः समस्त जिलाधिकारी महोदय एवं मुख्य कृषि अधिकारी को अपने जनपदो मे पंजीकृत कृषको का सत्यापन सुनिश्चित कराने के लिये निर्देशित किया गया था। जिससे की अपात्र व्यक्तियों द्वारा योजना के धन का दुरुपयोग न होने पाये। कृषि निदेशक के पत्रांक संख्या 4527 दिनांक 02 दिसंबर 2020 मे दर्शाया गया था । की दिनाक 01.12.2020 तक पोर्टल के अनुसार 13 जनपदो मे 2741 अपात्र कृषको द्वारा 11819 किश्तो मे रु 236.38 लाख की राशि प्राप्त की गई थी। तथा

9053 आयकर देने वाले लाभार्थी को 45804 किश्तों मे रु 916.08 लाख की राशि प्रदान की जा चुकी थी। जिनसे सहायता की धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जानी थी।

इस संबंध मे इकाई से पूछे जाने पर की सहायता राशि प्रदान कराते समय पात्र लाभार्थी की पहचान क्यों नहीं की गई। तथा अपात्र लाभार्थियों को वितरित धनराशि रु1152.46 लाख (रु 236.38 लाख एवं रु 916.08 लाख) की वसूली के संबंध मे क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गई।

इकाई ने अपने उत्तर मे अवगत कराया की 01 दिसंबर 2019 से सरकार द्वारा आधार को अनिवार्य रूप से लिंक किया गया था। जिसके पश्चात आधार का इन्कम टैक्स से लिंक होने के फलस्वरूप आयकर दाता किसानो का विवरण प्राप्त हुआ जिसकी वसूली वर्तमान तक रु 4,60,000/- की जा चुकी है। जनपद एवं तहसील स्तर पर गठित समिति द्वारा अनुश्रवण एवं सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था। जनवरी 2019 के पश्चात भी दिये जाने वाले सहायता राशियों मे अपात्र लाभार्थियों की पहचान नहीं की गई । रु236.38 लाख के ऐसे लाभार्थी थे जो आयकर के अतिरिक्त अन्य प्रकार से अपात्र थे । जिनको अगर गहन अनुश्रवण/सत्यापन किया जाता तो लाभ नहीं मिलता। साथ ही जनपद एवं तहसील स्तर पर गठित समिति मे कृषि विभाग के भी अधिकारी नामित थे । जिनको राजस्व विभाग के साथ मिलकर गहन सत्यापन के पश्चात ही सहायता वितरित की जानी थी। जो नहीं की गई। वर्तमान तक रु 1152.46 लाख मे से मात्र रु 4.60 लाख की वसूली ही की जा सकी । जो यह प्रदर्शित करता है कि योजना के सफल संचालन हेतु संबन्धित विभाग गंभीर नहीं है।

अतः किसान सम्मान निधि मे सत्यापन संबंधी कार्यवाही दिशानिर्देशों के अनुसार न किए जाने के कारण रु1152.46 लाख अपात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने एवं वर्तमान तक रु1147.86 लाख की वसूली लंबित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियो के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर02- आत्मा योजना के अंतर्गत रु 793.33 लाख की राशि अवशेष होने के पश्चात भी कार्य की धीमी प्रगति तथा दिशानिर्देश की अनिवार्य शर्त के अनुसार प्रत्येक ब्लाक मे तीन फार्म स्कूलो का संचालन न किया जाना ।

भारत सरकार की सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फार एक्सटेंशन रिफार्म्स - आत्मा योजना के अंतर्गत धनराशि का उपयोग करते समय मुख्यतः निम्न प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित किया जाना था-

1. जनपद मे उपलब्ध धनराशि का पूर्ण सदुपयोग माह जनवरी तक सुनिश्चित किया जाना था। यदि किसी जनपद द्वारा धीमी प्रगति दर्शाते हुए धनराशि का सदुपयोग निर्धारित समय तक नहीं किया जाता है तो उस जनपद की अवशेष धनराशि को अच्छी प्रगति दर्शाने वाले किसी अन्य जनपद को स्थानांतरित कर दी जायेगी।

2. धनराशि का सदुपयोग इस निदेशालय के पत्र, भारत सरकार एवं राज्य सरकार की संशोधित गाइडलाइंस/कैफेटेरिया वर्ष 2014, तथा निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यो के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित करे।

3. प्रति ब्लाक चयनित 03 फार्म स्कूल का अनिवार्य रूप से शतप्रतिशत संचालन सुनिश्चित करे।

अवमुक्त धनराशि से संबन्धित उपलब्ध अभिलेखो के अनुसार आत्मा योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक आवंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत थी-

क्रम संख्या	वर्ष	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना	भारत सरकार से प्राप्त 90 प्रतिशत	राज्य सरकार द्वारा प्राप्त 10 प्रतिशत	पिछले वर्ष की अवशेष राशि	पूर्व धनराशि पर अर्जित ब्याज	कुल उपलब्ध धनराशि	कुल व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2017-18	1404.25	854.65	64.96	253.61	10.22	1213.44	704.10	509.34
2	2018-19	1455.24	780.60	86.73	509.34	18.62	1396.04	902.72	493.31
3	2019-20	1662.00	1200.00	133.32	493.32	33.88	1860.52	1067.19	793.33

आवंटन एवं व्यय की उपरोक्त स्थिति के जांच से यह स्पष्ट होता है की प्रत्येक वर्ष जनपद स्तर पर अवशेष राशि रु 4.00 से रु 7.00 करोड़ के मध्य थी । जिसको जनपद द्वारा योजना के संचालन मे उपयोग नहीं किया जा सका । और न ही निदेशालय द्वारा शर्तो के अनुसार कम प्रगति वाले जनपदो की अवशेष राशि को अच्छी प्रगति वाले जनपदो को स्थानांतरित किया गया। साथ ही भारत सरकार को निर्गत उपयोगिता प्रमाणपत्र मे सही व्यय की स्थिति न बताए जाने के कारण वर्ष 2019-20 मे रु 1662.00 लाख की स्वीकृति कार्य योजना

के सापेक्ष विभाग द्वारा रु 1860.52 लाख की राशि जनपदो को उपलब्ध कराई गई। अर्थात कार्ययोजना से रु 198.62 लाख की अधिक धनराशि जनपदो के पास उपलब्ध थी। जो योजना के दिशानिर्देश के विपरीत था।

उक्त के अतिरिक्त दी गई शर्तो के अनुसार उक्त योजना मे प्रति ब्लाक 03 फार्म स्कूलो का चयन कर अनिवार्य रूप से संचालन किया जाना था। तथा दिशानिर्देश के अनुसार प्रति ब्लाक रु 29000/- का व्यय किया जाना था। उत्तराखंड के 13 जिलो मे 95 ब्लाक है । प्रत्येक ब्लाक मे 03 फार्म स्कूलो का चयन किया जाना था। अर्थात कुल (95X3) 285 फार्म स्कूलो का चयन कर संचालन किया जाना अनिवार्य था । जिन पर प्रति स्कूल 29000/- की दर से प्रति वर्ष रु 82.65 लाख का व्यय होना था । किन्तु उपलब्ध अभिलेखो के अनुसार वर्ष 2017-18 मे रु 42.63 लाख, वर्ष 2018-19 मे रु 74.62 लाख तथा वर्ष 2019-20 मे रु 73.76 लाख का व्यय किया गया । विगत तीन वर्षो मे क्रमशः रु 40.02 लाख, रु 8.03 लाख, रु 8.89 लाख का फार्म स्कूलो के संचालन पर कम व्यय किया गया। अर्थात योजना के उद्देश्यों के अनुसार फार्म स्कूलो के संचालन मे शर्तो का पालन नहीं किया गया। जबकि जनपदो मे प्रत्येक वर्ष काफी बड़ी मात्र मे अवशेष राशि पड़ी हुई थी।

इस संबंध मे इकाई से पूछे जाने पर की कम व्यय एवं धीमी प्रगति मे क्या कार्यवाही की गई, वर्ष 2019-20 मे कार्ययोजना से अधिक धनराशि का आवंटन जनपदो को किये जाने के क्या कारण थे। तथा प्रति ब्लाक तीन फार्म स्कूलो का संचालन न किये जाने पर निदेशालय स्तर पर क्या कार्यवाही की गयी।

इकाई ने अपने उत्तर मे बताया की धीमी प्रगति एवं कम व्यय पर समीक्षा बैठको मे निर्देश जारी किए जाते है। जून 2019 मे भारत सरकार को प्रोविज़नल उपयोगिता प्रमाण पत्र मे अवशेष राशि उपलब्ध कराई गई थी जिसके पश्चात भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। जनपदो को रु 1396.55 लाख अवमुक्त किया गया था तथा शेष राशि निदेशालय स्तर पर अवरुद्ध थी। तथा कम फार्म स्कूलो के के संचालन के संबंध मे अवगत कराया गया की वर्ष 2017-18 मे विलंब से बजट आवंटन के कारण लक्ष्य की पूर्ति नहीं की जा सकी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मात्र समीक्षा बैठको मे निर्देश जारी कर देना ही पर्याप्त नहीं था । समय-समय पर निदेशालय द्वारा टीम गठित करके जनपदो मे जाकर कम प्रगति के कारणो की समीक्षा की जानी चाहिए तथा कम प्रगति वाले जनपदो की अवशेष राशि को अच्छी प्रगति वाले जनपदो को स्थानांतरित की जानी चाहिये थी। जो नहीं की गई तथा जनपदो के पास प्रत्येक वर्ष पर्याप्त राशि अवशेष थी। तथा प्रत्येक ब्लाक मे मात्र तीन फार्म स्कूलो का ही चयन कर संचालन किया जाना था। यदि वर्ष 2017-18 मे विलंब से राशि प्राप्त हुई तो पूर्व के वर्षो की अवशेष राशि से फार्म स्कूलो का संचालन किया जा सकता था जो नहीं किया गया।

अतः आत्मा योजना के अंतर्गत रु 793.33 लाख की राशि अवशेष होने के पश्चात भी कार्य की धीमी प्रगति तथा दिशानिर्देश की अनिवार्य शर्त के अनुसार प्रत्येक ब्लाक मे तीन फार्म स्कूलो का संचालन न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग दो "ब"</u>

प्रस्तर:03- भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही ₹ 17.81 लाख की धनराशि अन्य मदों में व्यय किया जाना।

सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट,राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन की एक सब योजना है जो की 90% केंद्रान्श एवं 10% राज्यान्श के अंतर्गत संचालित है। इस योजना के अंतर्गत मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, पहले से स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशालों का सूक्षम पोषक तत्वों के परीक्षण हेतु सुद्रिकरण तथा सूक्षम पोषक तत्वों के प्रमोशन एवं वितरण का प्रावधान है।

इस योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 की कार्ययोजना तैयार की गयी जिसके अंतर्गत पहले से स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशालों के सुद्रिकरणहेतु 04 अटॉमिक आबसोरप्शन स्पेक्टोमीटर (AtomicAbsorptionSpectrometer) एएएस का क्रय जनपद मृदा परीक्षण पिथौरागढ़, जनपद मृदा परीक्षण टिहरी, जनपद मृदा परीक्षण रुद्रप्रयाग, जनपद मृदा परीक्षण चमोली के सुद्रिकरण किए जाने हेतु क्रय किया जाना था जिस हेतु कुल 52.00 लाख की धनराशि (एएएस की लागत @13.00 X4=52.00 लाख) प्रस्तावित थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया की वर्ष 2018-19 के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति में उक्त चार प्रयोगशालाओं में तीन को पूर्ण (व्यय धनराशि 34.19 लाख) एवं एक को निर्माणाधीन प्रदर्शित किया जा रहा था जबकि भारत सरकार को प्रेषित किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र में समस्त धनराशि का उपयोग परिलक्षित हो रहा था। अतः रु. 17.81 लाख का व्यय अन्य मदों पर किया गया एवं उसकी स्वीकृति नही ली गयी।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रदान की गयी थी। इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नही था क्योकि विभाग द्वारा भारत सरकार को स्वीकृति भेजा गया था लेकिन भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान नही की गयी ।

अतः भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही रु. 17.81 लाख की धनराशि अन्य मदों में व्यय किए जाने का प्रकरण उच्चधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर04-: रु. 8.75 लाख का अनियमित क्रय ।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (संशोधित) 2015 एवं 2017 के नियम 9 व 34 में प्रावधानित है कि प्रत्येक अवसर पर क्रमशः रु. 50000.00 से अधिक तथा रु. 300000.00तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है।

कार्यालय निदेशक, कृषि निदेशालय, देहरादून के क्रय पत्रावलियों की नमूना जांच में पाया कि इकाई द्वारा एकअवसर पर एक ही प्रकृति की सामग्री विभागीय क्रय समिति के माध्यम से बाजार सर्वेक्षण कर प्राप्त कोटेशन व तुलनात्मक विवरण के आधार पर M/S Strategic Marketing एवं M/S The Cyber World से एवं निम्न सामग्री क्रय की गई थी-

क्रम संख्या	सामग्री का विवरण व मात्रा	बिल संख्या व दिनांक	व्यय धनराशि
1	03 लैपटाप	SM/2016-17/PI/0054, दिनांक 20.03.2017	239749.00
2	02 कलर प्रिंटर	SM/2016-17/PI/0055, दिनांक 20.03.2017	119933.00
3	08 मॉनिटर	SM/2016-17/PI/--- दिनांक20.03.2017 व SM/2016-17/PI/0057 दिनांक 20.03.2017	40318.00 74959.00
4	01 कॉन्फ्रेंस कैमरा,	17-18/43, दिनांक 07.10.2017	149980.00
5	01 माइक्रोफोन		
6	13 कलर प्रिंटर,	17-18/44दिनांक07.10.2017	249990.00
योग			**874929.00**

इस और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया गया कि सामग्री अलग-अलग प्रकृति की होने के कारण तथा अलग-अलग कोटेशन प्राप्त कर क्रय की गई थी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिप्राप्ति नियमावली के आलोक में एक अवसर पर रु. 3.00 लाख तथा 2.50 लाख तक लागत की सीमा तक ही कोटेशन से क्रय किया जा सकता था जबकि इकाई द्वारा एक अवसर पर कोटेशन से निर्धारित लागत से अधिकलागत की सामग्री का क्रय किया गया था,जो अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन था।

अतः रु 8.75 लाख की सामाग्री का अनियमित क्रय किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञानमें लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर01- रु 242.61 लाख के निर्माण कार्यो मे कार्य की गुणवत्ता प्रमाणपत्र संबंधी अनिवार्य शर्त का पालन न किया जाना ।

शासन/कृषि निदेशक द्वारा भवन अनुरक्षण संबंधी प्राकलनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के पश्चात,शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि निदेशालय द्वारा आहरित कर निम्न प्रतिबंधों एवं शर्तो के साथ जनपदो को आवंटित की गयी थी-

1. कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं मानको के अनुसार किया जाय तथा कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति उपलब्ध करायी जाय ।
2. कार्य करने से पूर्व कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी/मुख्य कृषि अधिकारी स्थलीय निरीक्षण करेंगे।
3. कार्य पूर्ण करने के उपरांत मुख्य कृषि अधिकारी कार्यो का स्वयं निरीक्षण एवं सत्यापन कर ले, यह भी सुनिश्चित कर ले की कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानको के अनुसार है। इस आशय का प्रमाण पत्र निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

इस संबंध मे जनवरी 2020 मे समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी को निर्देशित भी किया गया था की प्राकलन मे इंगित कार्यो के पूर्ण होने के पश्चात मात्र कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाता है, किन्तु गुणवत्ता संबंधी प्रमाण पत्र निदेशालय को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जो उचित नहीं है, तथा निदेशालय स्तर पर यह स्पष्ट नहीं हो पाता है की भवन निर्माण एवं निरीक्षण संबंधी प्राकलनों के सापेक्ष उपलब्ध कराई गयी धनराशि से कराए गए कार्यो की गुणवत्ता निर्धारित मानको के अनुसार है या नहीं। अतः गुणवत्ता संबंधी प्रमाणपत्र तत्काल अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये।

लेखापरीक्षा अवधि वर्ष 2017-18 से 2019-20 मे स्वीकृति एवं अवमुक्ति धनराशि का विवरण (संलग्नक-1) के निरीक्षण मे पाया गया की कार्य पूर्ण होने के पश्चात गुणवत्ता संबंधी प्रमाणपत्र संबन्धित जनपदो द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के बावजूद निदेशालन द्वारा संबन्धित जनपदो को निर्माण/अनुरक्षण कार्यो हेतु धनराशि प्रत्येक वर्ष उपलब्ध करायी जा रही थी । जो अनिवार्य शर्तो का उल्लंघन था।

इस संबंध मे इकाई से पूछे जाने पर की गुणवत्ता संबंधी प्रमाणपत्र जनपदो द्वारा उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण थे। तथा बिना गुणवत्ता प्रमाणपत्र के प्रत्येक वर्ष निर्माण कार्य हेतु धनराशि जनपदो को उपलब्ध कराये जाने के क्या कारण थे। तथा इस संबंध मे निदेशालय स्तर से क्या कार्यवाही की गयी।

निदेशालय ने अपने उत्तर मे स्पष्ट किया की वृहद एवं लघु निर्माण के अंतर्गत चयनित कार्य शासन द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था से कराये जाते है । तथा कार्यदायी संस्था से गुणवत्ता सुनिश्चित होने के उपरांत ही जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा कार्यो का अधिग्रहण किया जाता है। तथा छोटे कार्य (pitty works) विभागीय अभियंता द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार गुणवत्ता होने पर ही मापन एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। साथ ही यह भी अवगत कराया की वर्ष 2019-20 मे कुछ कार्यो के गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए थे । शेष कार्यो के गुणवत्ता प्रमाण पत्र जनपदो से प्राप्त किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि स्वीकृति पत्र मे यह स्पष्ट था की "**कार्य पूर्ण करने के उपरांत मुख्य कृषि अधिकारी कार्यो का स्वयं निरीक्षण एवं सत्यापन कर ले, यह भी सुनिश्चित कर ले की कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानको के अनुसार है। इस आशय का प्रमाण पत्र निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।**" किन्तु जनपदो द्वारा उक्त का पालन न किए जाने के बावजूद निदेशालय द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्माण कार्यो मे जनपदो को धनराशि आवंटित की जाती रही और गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाने संबंधी अनिवार्य शर्त का पालन किए जाने हेतु कभी कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया।

अतः रु262.42 लाख के निर्माण कार्यो मे कार्य की गुणवत्ता प्रमाण पत्र संबंधी अनिवार्य शर्त का पालन न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञानमे लाया जाता है।

संलग्नक-1

वर्ष	जनपद का नाम	मद का नाम	तकनीकी सप्रेक्षण द्वारा संतुत राशि	कार्य की स्थिति
2017-18	अल्मोड़ा	कृषि बीज भंडार बाड़ेछीना की छत मरम्मत कार्य	4.59	पूर्ण
	उत्तरकाशी	किसान सूचना केंद्र मोरी का मरम्मत कार्य	4.06	पूर्ण
		किसान सूचना केंद्र भंटवाडी एवं जनपदीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला ग्राम डांग की बाउंड्रीवाल तथा क्षतिग्रस्थ गेट का निर्माण कार्य	3.19	पूर्ण
		कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, मोरी की भवन मरम्मत	1.95	पूर्ण
	देहरादून	कृषि बीज भंडार श्यामपुर/रायवाला के गेट निर्माण हेतु प्राकलन	0.40	पूर्ण
		बीज भंडार भवन रायपुर का मरम्मत संबंधी प्राकलन	0.55	पूर्ण
	पौड़ी	न्याय पंचायत पदमपुर के स्टोर एवं कार्यालय की मरम्मत कार्य	2.12	पूर्ण
		बफर गोदाम कोटद्वार का भवन मरम्मत	3.33	पूर्ण
		किसान सूचना केंद्र भवन कोट (पौडी) का भवन मरम्मत	2.74	पूर्ण
		कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सतपुली कार्यालय का मरम्मत	2.68	पूर्ण
		कृषि निवेश भंडारो,प्रक्षेत्रो तथा प्रशिक्षण केन्द्रो का सुदद्रीकरण	8.00	पूर्ण
		विभागीय भवनो का निर्माण एवं अनुरक्षण	33.00	पूर्ण
2018-19	अल्मोड़ा	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बाड़ेछीना के कार्यालय का सुदढ़िकरण कार्य	2.40	पूर्ण
	पौड़ी	कृषि बीज भंडार चौबट्टाखाल का भवन मरम्मत कार्य	1.33	पूर्ण
		किसान सूचना केंद्र भवन,कोट (पौड़ी) का भवन मरम्मत कार्य	2.75	पूर्ण
	उधमसिंघ नगर	किसान सूचना केंद्र सितारगंज का भवन मरम्मत कार्य	1.95	पूर्ण
	हरिद्वार	किसान सूचना एवं सलाहकार केंद्र, खानपुर हरिद्वार का भवन मरम्मत कार्य	1.10	पूर्ण
		राजकीय कृषि बीज भंडार, भगवानपुर का भवन मरम्मत कार्य	2.50	पूर्ण
	देहरादून	प्र्योगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज संवर्द्धन योजनान्तर्गत राजकीय जैविक प्रक्षेत्र ढकरानी का मरम्मत संबंधी प्राकलन	1.29	पूर्ण

	उत्तरकाशी	राजकीय बीज भंडार मोरी की रिटेनिग वाल/बाउंड्रीवाल का आंगणन	0.98	पूर्ण
	अल्मोड़ा	विकासखंड परिसर मे कृषि बीज भंडार भिकीयासेन हेतु अतिरिक्त कक्ष निर्माण	3.96	पूर्ण
		वृहद निर्माण कार्य	10.00	पूर्ण
		लघु निर्माण कार्य	2.00	पूर्ण
		अनुरक्षण	2.00	पूर्ण
2019-20	उधमसिंह नगर	क्षेत्रीय भूमि प्रयोगशाला रुद्रपुर के परिसर मे स्थित टाईप-3 के 6 आवासो का मरम्मत कार्य	8.60	अपूर्ण
		क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला रुद्रपुर के परिसर की चाहरदीवारी निर्माण संबंधी प्राकलन	14.97	अपूर्ण
	देहरादून	जनपदीय प्रयोगशाला देहरादून की मरम्मत, रंगाई पुताई इत्यादि कार्य	6.67	पूर्ण
	पौड़ी	बीज भंडार/कार्यालय भवन दुगद्दा का मरम्मत कार्य	2.50	पूर्ण
		किसान सूचना केंद्र दुगड्डा का मरम्मत कार्य	1.03	पूर्ण
	देहरादून	कृषि निवेश केंद्र कालसी की बाउंड्रीवाल मरम्मत कार्य संबंधी प्राकलन	1.45	पूर्ण
	उधमसिंघ नगर	किसान सूचना केंद्र काशीपुर का भवन मरम्मत कार्य	1.97	पूर्ण
	अल्मोड़ा	किसान सूचना केंद्र ताड़ीखेत का भवन मरम्मत कार्य	1.75	पूर्ण
	हरिद्वार	बीज भंडार बहादराबाद का भवन मरम्मत कार्य	4.80	पूर्ण
		वृहद निर्माण	30.00	पूर्ण
		लघु निर्माण	15.00	पूर्ण
		अनुरक्षण	55.00	पूर्ण
		Total Rs.	**262.42**	

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

प्रतिवेदन संख्या	**अनिस्तारित प्रस्तर**		
	भाग-2अ	**भाग-2ब**	**STAN**
18/2014-15	-	1,2	**1**
69/2015-16	-	1,2,3	1
72/2017-18	01	01	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	विभागीय उत्तर में बताया गया कि उक्त प्रस्तरों की यथाशीघ्र आख्या तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को प्रषित की जायेगी अत: उक्त सभी प्रस्तर यथावत रखने हेतु, प्रस्तावित है।			

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य:-

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय कृषि निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड,** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   1) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं	नाम	पदनाम	अवधि
01	श्री गौरी शंकर	निदेशक	28/12/2013 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **कार्यालय कृषि निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड,** कोइसआशयसेप्रेषितकरदीजायेगीकिअनुपालनआख्यापत्रप्राप्तिकेएकमाहकेअन्दरसीधेउप-महालेखाकार/ए॰एम॰जी॰-I,कार्यालयप्रधानमहालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकारभवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195कोप्रेषितकरदीजाए।

वरिष्ठलेखापरीक्षा अधिकारी/
ए॰एम॰जी॰ -I